

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु०-३) विभाग

क्रमांक: प० 6(74)प्रसु०/अनु.-३/२०१०

दिनांक ३१.१.२०११

:: आज्ञाः

राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्द्धन नीति-२०१० के बिन्दु संख्या ७.३.१०.६ के अनुसरण में हस्तशिल्प एवं हाथकरघा सेंक्टर के विकास में दस्तकारों, बुनकरों व विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माननीय उद्योग मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास बोर्ड के गठन किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त सलाहकार बोर्ड में निम्न अधिकारियों/प्रतिनिधियों को सदस्य मनोनीत किया जाता है। यह बोर्ड इस क्षेत्र को प्रोत्साहित और विकसित करने के लिए विशिष्ट योजना, कार्यक्रम को स्वीकृत करेगा एवं राज्य सरकार को नीतिगत विषय पर सलाह देगा।

१. प्रमुख शासन सचिव, लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग	सदस्य
२. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
३. प्रमुख शासन सचिव, महिला अधिकारिता विभाग	सदस्य
४. प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग	सदस्य
४. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रूडा,	सदस्य
५. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजसीको	सदस्य
६. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज.हा.क.विकास निगम	सदस्य
७. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ	सदस्य
८. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बडौदा	सदस्य
९. निदेशक, भारतीय शिल्प संस्थान	सदस्य
१०. आयुक्त, उद्योग विभाग	सदस्य सचिव

केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि

१. निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान(एमएसएमई)
२. उप निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र
३. सहायक निदेशक, हस्तशिल्प, कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प

प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि

१. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि

सदस्य-२

2.	निर्माताओं/ कारीगरों के प्रतिनिधि	सदस्य-2
3.	हस्तशिल्प/हाथकरघा संघों के प्रतिनिधि	सदस्य-2
4.	प्रमुख निर्यातकों के प्रतिनिधि	सदस्य-2
5.	पुरस्कृत बुनकरों/हस्तशिल्पियों के प्रतिनिधि	सदस्य-2

उपरोक्त गैर सरकारी प्रतिनिधियों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

राजस्थान हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास बोर्ड के एक सलाहकार निकाय के रूप में निम्न लिखित उद्देश्य होंगे:-

1. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के दक्षता संवर्द्धन, उत्पादों में डिजायन विकास, विविधिकरण एवं वित्तीय सुविधा/राहायता प्रदान करने हेतु सुझाव देना।
2. राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार सृजन की दृष्टि से हस्तशिल्प एवं हाथकरघा क्षेत्र के विस्तार की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श करना एवं सलाह देना।
3. राज्य के हस्तशिल्प एवं हाथकरघा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यरत राजकीय संस्थाओं/एजेन्सियों के क्रियाकलाप एवं गतिविधियों में बेहतर समन्वय एवं सामंजस्य बढ़ाने हेतु सुझाव देना।
4. राज्य में हस्तशिल्प एवं हाथकरघा क्षेत्र के शिल्पकारों, दस्तकारों एवं बुनकरों के संवर्द्धन हेतु संचालित वर्तमान योजनाओं की समीक्षा एवं उनमें अपेक्षित सुधार/संशोधन हेतु सुझाव देना।
5. राज्य के हस्तशिल्प एवं हाथकरघा उत्पादों के विपणन एवं निर्यात संवर्द्धन की प्रचलित व्यवस्थाओं में सुधार हेतु सुझाव देना।
6. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा क्षेत्र में कार्यरत कारीगरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रभावी जुड़ाव हेतु सलाह/सुझाव देना।
7. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा क्षेत्र के उत्पादों के विपणन हेतु शिल्पियों/बुनकरों को प्रभावी रूप से प्रमुख पर्यटन स्थल से जोड़ने एवं राज्य/राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेला/प्रदर्शनियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने एवं अपेक्षित सहायता/सुविधायें प्रदान करने हेतु सुझाव देना।
8. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा क्षेत्र में अधिकाधिक कुटीर उद्योगों की स्थापना के जरिये समाज के कमजोर तबकों सहित महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने एवं उनके सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिये सुझाव देना।

9. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा क्षेत्र के कल्याण एवं विकास हेतु देश के अन्य राज्यों में संचालित प्रभावी एवं लाभप्रद योजनाओं का अध्ययन कर उन्हें राजस्थान राज्य में भी लागू करने के सम्बन्ध में सलाह एवं सुझाव देना।
10. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को अच्छी किस्म का उचित कीमत पर पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की नियमित आपूर्ति हेतु तंत्र विकसित कर संचालन करने के सम्बन्ध में सुझाव एवं सलाह देना।
11. राज्य के हस्तशिल्प कारीगरों, बुनकरों एवं कुशल कामगारों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में उचित एवं प्रभावी कल्याणकारी नीतियों के निर्माण के सम्बन्ध में सलाह देना।

उक्त बोर्ड के सदस्य सचिव आयुक्त, उद्योग विभाग बोर्ड की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार कराने एवं उनमें लिये गये निर्णयों की पालना सुनिश्चित करायेगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग उद्योग विभाग होगा।


इस सम्बन्ध में राजस्थान हस्तशिल्प विकास सलाहकार बोर्ड के गठन बाबत प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग की पूर्व आज्ञा क्रमांक प. 6 (4) प्रसु / अनु-3/2005 दिनांक 17.2.2005 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,


उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर/निजी सचिव माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उद्योग, विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, (लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग) उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. शासन उप सचिव, उद्योग (मुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां सभी सम्बन्धित को वितरण कराने हेतु प्रेषित है।
8. समस्त सदस्य गण
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


अनुभागाधिकारी